न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :— सुभाषचन्द्र

आर.ए.एस.

सं. 49/2020
सीएमएस : 2020/00155

1. बिरमा देवी पत्नी श्री बनवारीलाल पुत्री श्री हनुमान साकिन गंगा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
2. विद्या देवी पत्नी श्री सन्तकुमार पुत्री श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री बोगा राम जाति बिश्नोई साकिन 17 के.एन.डी. तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राज.। (मृतक)

1/1. परमेश्वरी देवी पत्नी श्री हनुमान जाति बिश्नो साकिन 17 के.एन.डी.बी. तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राज.।

1/2. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 पहले से रिकार्ड पर है।

2. निहालचन्द्र पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 3 एन.पी. ढाणी।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री हनुमान } जाति बिश्नोई साकिन 17 के.एन.डी.बी. तहसील
4. हेतराम पुत्र श्री हनुमान। } घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. शान्ति देवी पत्नी श्री हनुमान पुत्री श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन गंगा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
7. देवी लाल पुत्र श्री कालूराम } जाति बिश्नोई साकिन 3 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर
8. प्रमोद कुमार पुत्र श्री देवीलाल } जिला श्री गंगानगर राज.। —:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 04.08.2020

उपस्थित अधिवक्ता गण
1. श्री रविन्द्र बिश्नोई अधि. प्रार्थी।
2. श्री अवतारसिंह अधि. अप्रार्थी सं. 2।
3. श्री सुशील कुमार गोदारा अधि. अप्रार्थी सं. 1,3,4,5।
4. श्री सोहन लाल जोशी अधि. अप्रार्थी सं. 7,8।

—: **निर्णय** :— दिनांक :—14.10.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 के खाता संख्या 12/18 चक 3 एन.पी. के मुरब्बा नं. 21 के कि.नं. 6 ता 25 व मु. नं. 30 के कि.नं. 1 ता 10 में 9 बीघा 8 बिस्वा व मुरब्बा नं. 65/6 में 12 बिस्वा गैर मुमकिन कुल 30 बीघा भूमि वादीगण के दादा बोगा पुत्र हरदास के नाम खातेदारी भूमि थी संवत 2037 से 46 में इस भूमि को भू. प्रबन्धक विभाग द्वारा चक 3 एन.पी. के खाता संख्या 54/52 प.नं. 149/307 के मु.नं. 21 के कि.नं. 6 से 25, प.नं. 149/308 के कि.नं. 1 ता 10 मु.नं. 30 के 6.590 है. भूमि वादीगण के पिता हनुमान व हनुमान के भाई बनवारी लाल के नाम हिस्सा बराबर—बराबर दर्ज हुई। इस प्रकार वादीगण के दादा श्री बोगा से वाया पिता हनुमान को उक्त भूमि आई है इस प्रकार यह भूमि पैतृक भूमि है पक्षकारान का परिवार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित है इसलिए वादीगण जन्म से ही इस भूमि पर हक व अधिकार है जो यह प्राप्त करने का अधिकारी है। वंशावली में बोगा पुत्र हरदास के हनुमान—बनवारी वारिस थे बिरमादेवी, बिद्यादेवी, निहाचन्द वारिसान हनुमान एवं औमप्रकाश, हेतराम, शान्तिदेवी वारिसान बनवारी के है। इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का प्रत्येक का जन्म से 1/7 हिस्सा है। चक 3 एन.पी. के प.नं. 149/307 के मु.नं. 21/0.126 है. व प.नं. 149/308 के मु.नं. 30/4.048है., भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता को आई जिसकी वादीगण के पिता हनुमान ने गैर कानूनी तरीके से प.नं. 149/307 के 0.126 है. प.नं. 149/308 के कि.नं. 1 ता 5 में कुल 1.374 है. प्रतिवादी नं. 4 के पक्ष में व प.नं. 149/308 मु.नं. 30 के कि.नं. 1, 6, 7 से 10 व 11 में 1.374 है. प्रतिवादी सं. 2 निहालचन्द व प.नं. 149/308 के कि.नं. 11 ता 15 व 20 में 1.362 है. भूमि प्रतिवादी नं. 3 औमप्रकाश को जरिये दान–पत्र उप पंजीयक मुकलावा के कार्यालय से पंजीकृत करवा दिया जिसका इन्तकाल नं. 464 दिनांक 05.04.2019 को दर्ज हो चुका है। विवादित भूमि पैतृक भूमि है इस भूमि का दान–पत्र करवाने का वादीगण के पिता हनुमान के पास कानूनन अधिकार नहीं था ऐसे दान–पत्र का वादीगण के हक व हिस्सा पर प्रतिकूल असर नहीं है इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 5 के हिस्सा तक दान–पत्र शुरू से शून्य है जो वादीगण शून्य करवाने के अधिकारी हैं दिनांक 29.07.2020 को व मुकाम 3 एन. पी. में प्रतिवादीगण को दान–पत्र निरस्त करवा कर हमारे हिस्सा की भूमि हमारे नाम करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण तेस में आ गये व कहा कि हम आज कल में विवादित भूमि को आगे हस्तान्तरण कर देगे या इस भूमि पर केसीसी बनाकर भारी मात्रा में लोन ले लेगें। पर आपकों भूमि नहीं देगें। प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकशान होगा जिसकी भरपाई मुद्राओं में नहीं हो सकेगी। विवादित भूमि वादीगण के दादा बोगा से वादीगण के पिता हनुमान को आई है इस प्रकार यह भूमि पैतृक होने की वजह से प्रार्थीगण का जन्म के दिन से ही हक व हिस्सा है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि न्याय हित में ता:फैसला वाद–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि चक 3 एन.पी. के प.नं. 149/307 के कि.नं. 21/0. 126, प.नं. 149/308 के मु.नं. 30 के 4.010 है. भूमि को प्रतिवादीगण किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण करने से वाज व ममुन रहे तथा विवादित भूमि पर रिसीवर मुकरर्र किया जावे विकल्प में 50,000 रूपया नगद ठेका राशि न्यायालय में प्रतिफल जमा करवाई जावे ।

2. प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्यां 1–3 ता 5 की तरफ से श्री सुशील कुमार गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से जवाब पेश कर कथन किया है कि विवादित भूमि जमाबंदी संवत 2026 ता 2029 के खाता संख्या 12/18 की 30 बीघा कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी के पिता श्री बोगा वल्द हरदास के नाम से खातेदारी थी मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री बोगा वल्द हरदास की मृत्यु के पश्चात उनके नाम की उक्त विवादित भूमि भू. प्रबंध विभाग द्वारा मुझ अप्रार्थी व मेरे हकीकी भाई बनवारी लाल के नाम से दर्ज की गई। मुझ अप्रार्थी के नाम से जो उपरोक्त विवादित भूमि प्राप्त हुई है वह मेरे पिता श्री बोगा के देहान्त के पश्चात उनकी उपरोक्त पैतृक भूमि तथा मुझ अप्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि की कमाई से मुझ अप्रार्थी के नाम से कुछ भूमि खरीद करके उक्त विवादित भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को बतौर विरासतन प्राप्त हुई है जो सम्पति हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति की परिभाषा में आती है जिसमें से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 5 ने अपनी मौखिख स्वीकृति दिए जाने के पश्चात ही मुझ अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:13 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में दान पत्र करवाया गया था मुझ अप्रार्थी सं. 1 के प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 जायज वारिस है मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी तीनों पुत्रियों प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 की शादी कर दी है जो अपने-अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा उनकों मैने अपनी हैसियत से अधिक स्त्रीधन आदि दिया हुआ है उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 5 व प्रार्थीगण द्वारा अपना हक मौखिख रूप से मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग किए जाने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के पक्ष में जरियें दान पत्र न्यागत करने का विधिक अधिकार प्राप्त था क्योंकि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 5 ने इसके लिए अपनी मौखिख स्वीकृति मुझ अप्रार्थी को प्रदान की थी। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को उसके नाम की भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के नाम तथाकथित दिनांक 03.08.2020 को दान पत्र करवाने का विधिक अधिकार था क्योंकि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को पैत्रिक अवश्य प्राप्त हुई लेकिन प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 5 की मौखिख स्वीकृति के बाद वे अब ऐसी स्थिति में इस भूमि में अपने किसी हक हकूक की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विरास्तन एवं हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति का अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम से करवाया गया दस्तावेज विधि अनुसार मान्य है। अतिरिक्त आपत्तियां में कथन है कि विवादित भूमि प्राप्त हुई है वह मेरे पिता श्री बोगा के देहान्त के पश्चात बतौर विरास्तन प्राप्त हुई है तथा कुछ भूमि इस पैत्रिक सम्पति की कमाई से खरीद की गई है जिस भूमि को मैने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 की मौखिख सहमति से अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के नाम से जरिए दान पत्र निष्पादित करवा दी है ऐसी स्थिति में अब इस भूमि में प्रार्थीगण को कोई पैदायशी हक नहीं रहा है तथा ना ही वे वाद प्रस्तुत करने की विधिक अधिकारी है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वर्तमान सूरत में ही खारिज फरमाया जाकर खर्चा जवाब देही दिलाया जावें। अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मुझ अप्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 श्री हनुमान के नाम से जो उपरोक्त विवादित भूमि प्राप्त हुई है वह मेरे दादा श्री बोगा के देहान्त के पश्चात उनकी उपरोक्त पैत्रिक भूमि तथा मुझ अप्रार्थीया के दादा द्वारा उक्त भूमि की कमाई से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खरीद करने बाद उक्त 4.110 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को बतौर विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से प्राप्त उक्त हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति में 1 के वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जायज वारिस है इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की उक्त सम्पति में उनके प्रत्येक वारिस का 1/7, 1/7 हिस्सा बनता है जिसके अनुसार अप्रार्थीया अपने विरास्तन हक हकूक के 1/7 हिस्सा को प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है तथा अपने 1/7 हिस्सा की घोषणा करवाकर अपने आपकों खातेदार घोषित करवाने की विधिक अधिकारी है उपरोक्त तमाम भूमि [illegible] खानदान की कोपासरी सम्पति है जिस पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. [illegible] ता [illegible] संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जा है विवादित भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण [illegible] रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए अप्रार्थीया विवादित [illegible] अपने हक की घोषणा करवाकर अच्छी से अच्छी व खराब से खराब [illegible] का विभाजन करवाने की विधिक अधिकारी है क्योंकि विवादित भूमि संयुक्त [illegible] खानदान की कोपासरी सम्पति है तथा जद्दी जायदाद है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाता है तो मुझ अप्रार्थीया को कोई आपत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पेश कर कथन किया है कि विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार था तथा उसने भविष्य अपनी औलाद का आपस में लड़ाई झगड़ा भूमि के बंटवारे को लेकर ना हो इसलिए सभी की सहमति से उक्त विवादित भूमि का अपने जीते जी अपने हाथों बंटवारा कर हमारे पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर दिया गया, जो हम भाईयों को बराबर-बराबर बांट कर किया गया है, जिसका इन्तकाल हम अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम हो चुका है। विवादित भूमि विधिसम्मत दस्तावेज उपपंजीयक मुकलावा से पंजीकृत है तथा जब तक दस्तावेज मान्य तथा प्रभावी है इसलिए न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है उक्त विवादित भूमि जो हम अप्रार्थीगण को जरिये दान प्राप्त हुई है उक्त भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 04.08.2020 को प्रमोद कुमार पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन 3 एनपी तहसील रायसिंहनगर एवं देवीलाल पुत्र कालूराम जाति बिश्नोई साकिन 3 एनपी तहसील रायसिंहनगर को विक्रय कर दी, जिसके इन्तकाल की कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थीया ने हम अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है इसलिए प्रार्थीया को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं होकर हम अप्रार्थीगण को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी जाती है तो नुकसान होगा, जिसका मुल्याकांन मुद्राओं में नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया का नहीं बनता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है क्योकि उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा कभी नहीं रहा, उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त हमारा रहा है तथा आज उक्त भूमि को हमने प्रमोद कुमार व देवीलाल को विक्रय कर दी गई है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा भूमि पैतृक होने का कोई साक्ष्य ना होने के कारण यह भूमि पैतृक भूमि होने से तथा प्रार्थीगण का तथा अन्य का इस भूमि में अधिकार होना इन्कारी है और ना ही प्रार्थीगण इस भूमि से कोई अधिकार पाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 कोई हिस्सा अब इस भूमि में नहीं हैं। हनुमान विवादित भूमि का खातेदार था तथा भूमि का इन्तकाल हनुमान के नाम से दर्ज था, जो सब की जानकारी में था हनुमान को अपने द्वारा धारित भूमि पर पूर्ण अधिकार थे जिसकों विक्रय व दान आदि देने का अधिकार भी था प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 का कोई भाग इस भूमि में नहीं था ना ही दान पत्र शून्य है ना ही दान पत्र विधि विरूद्व एवं शून्य होता है, दान पत्र पंजीबद्व ही नहीं होता है दानपत्र स्वीकार होकर उपयोग हो चुका है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण ने बाजार मूल्य अदा कर खरीद की हे तथा कब्जा विधिवत प्राप्त किया है राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है इस प्रकार प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन हम अप्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] ने रिसीवर का अनुतोष चाहा है जो HARSHIST REMADY मानी गई [illegible] जिसे [illegible] किया जाना न्यायोचित नहीं है अप्रार्थी सद्भाविक क्रेता है जिसको [illegible] अधिकार को समाप्त किया जाना न्यायोचित नहीं है [illegible] दरख्वास्त में कोई भी अनुतोष नहीं [illegible] खारिजी के लायक है लिहाज जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि को कुर्क किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जाकर रिसीवर के सुपुर्द किया जावे। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सद्‌भाविक क्रेता है जिसको प्राप्त अधिकार को समाप्त किया जाना न्यायोचित नहीं है प्रार्थीया ने हन अप्रार्थीगण के खिलाफ इस दरख्वास्त में कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें।

बहस पक्षकारान अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य जिस प्रकार का विवाद उत्पन्नद हुआ है व उभयपक्षों द्वारा जो अभिवचन किए गए है उनके आधार पर प्रकरण में निम्न सद्वाविक तात्तिवक प्रश्न होते है कि क्या प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक संपत्ति है, व क्या प्रार्थीया को उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व अधिकार निहित है व क्या प्रश्नगत दस्तावेज दान पत्र व बैयनामा व बैयनामा को निरस्त करवाने का अधिकार है अथवा नहीं ऐसे में उपरोक्त समस्त सद्वाविक तात्तिवक प्रश्नों का अवधारण मूल वाद में उभयपक्षों की साक्ष्य के पश्चात ही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे प्रतीत होते है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अतः समस्त विवेचन व विश्लेषण के दृष्टिगत प्रार्थीया बिरमा देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर चक 3 एन.पी. के प.नं. 149/307 के मु.नं. 21/0.126, प.नं. 149/308 के मु.नं. 30 के 4.010 है. भूमि मे से प्रार्थीगण की हक की भूमि पर दिनांक 04.08.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है अप्रार्थीगण किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण करने से वाज व ममुन रहे भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय हंस्तारित ना करें तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे प्रार्थीगण को नुकसान होता है पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner